राजस्व लोक अदालतअभियान
न्यायआपकेद्वार–2017

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
30/2010/वाद पत्र	15.01.2010	07.06.2017

उनवान

1– श्रीकिशन पिता लक्ष्मण चमार निवासी मुंहला (मृतक)
1/1 मु0 भूला बेवा श्रीकिशन चमार निवासी मुंहला
1/2 नोरतन पिता श्रीकिशन चमार निवासी मुंहला
1/3 लादी पुत्री श्रीकिशन चमार निवासी मुंहला
2– श्रीलाल पिता लक्ष्मण चमार निवासी मुंहला (मृतक)
2/1 मु0 किशनी बेवा श्रीलाल चमार निवासी मुंहला
2/2 घीसू पिता श्रीलाल चमार निवासी मुंहला
2/3 कैलाश पिता श्रीलाल चमार निवासी मुंहला (मृतक)
2/3/1 मु0 फोरी पत्नि कैलाश चमार निवासी मुंहला
2/3/2 शोकिन्द पुत्र कैलाश चमार ना0बा0 जरिये माता फोरी पत्नि कैलाश चमार निवासी मुंहला तहसील शाहपुरा

– वादीगण

बनाम

1–3 रामेश्वर, शंकर, सोहनी पिता छोगा चमार निवासी मुंहला
4– रोडू पिता खाना चमार निवासी मुंहला
5– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री राजेश वर्मा : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। लक्ष्मण फोत हो चुका है। लक्ष्मण के तीन पुत्र छोगा सबसे बड़ा है जो फोत हो चुका है। मृतक छोगा की पत्नि कोयली भी फोत हो चुकी है एवं मृतक छोगा के पुत्र रामेश्वर प्रतिवादी नं0 1 शंकर प्रतिवादी नं0 2 व पुत्री सोहनी प्रतिवादी नं0 3 है। प्रतिवादी नं0 4 श्री रोडू सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं0 5 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। ग्राम मुंहला तत्कालीन पटवार क्षेत्र डाबला चान्दा मे संवत 2036–39 की जमाबन्दी मे छोगा श्रीकिशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण व रोडू पिता खाना चमार के खातेदारी अधिकार की कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित होकर खातेदारान अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज यानि छोगा, श्रीकिशन, श्रीलाल का 1/2 हिस्सा व रोडू प्रतिवादी नं0 4 का 1/2 हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग मे निरन्तर ले रहे है। हल्का पटवारी द्वारा ग्राम मुंहला का रोटेशन जमाबन्दी संवत 2041–44 बनाते समय सहवन से छोगा पिता श्रीकिशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण कर दिया है जबकि छोगा, श्रीकिशन व श्रीलाल तीनों सगे भाई होकर मृतक लक्ष्मण के पुत्र है। शाहपुरा तहसील मे सेटलमेन्ट का कार्य चला जो पूर्ण हो चुका है। पुरानी आराजी नम्बरों के नये नम्बर 326, 455, 519, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587 व 1588

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

कुल किता 9 रकबा 1.32 है0 बने है। वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात का विकास कराना चाहते है किन्तु संयुक्त आराजीयात होने से वादीगण के ऐसा करना संभव नही है। अतः वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 के खिलाफ खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद के पेरा 3 मे वर्णित जमाबन्दी अनुसार बाद वाली जमाबन्दियों मे हल्का पटवारी के सहवन से जो गलत इन्द्राज हो गया है उसको संवत 2036–39 की जमाबन्दी के अनुसार संशोधित करते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 से 3 को आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 4 के खिलाफ बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद के पेरा नं0 2 व 4 मे वर्णित आराजीयात का विभाजन खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के बाद मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर वादीगण नं0 1 को 1/6 हिस्सा व वादीगण नं0 2 को 1/6 हिस्से का कब्जे अनुसार विभाजन कराते हुए खाता अलग अलग किये जाने के आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.03.2010 को प्रतिवादी नं0 2 व 4 की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश धाकड़ ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी नं0 5 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। दिनांक 19. 04.2010 को प्रतिबादी नं0 1 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नं0 3 की तलबी के आदेश दिये गये। दिनांक 26.07.2011 को प्रतिवादी 2 के वारिसान द्वारा आदेश 1 नियम 10 व जा0 151 जा0दी0 प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन उनवान के आदेश दिये गये। दिनांक 12.07.2013 को संशोधन उनवान पेश किया गया। दिनांक 16.07.2014 को अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 151 सी0पी0सी0 पेश किया गया। जिस पर पक्षकारान को सुना जाकर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया गया। संशोधित उनवान पेश किया गया। दिनांक 04.01.2016 को प्रतिवादी नं0 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाबदावा बन्द किया गया। वादी श्रीलाल के कायम मुकाम नं0 2/3 व 2/4 की मृत्यु हो जाने से न्यायालय के ध्यान मे लाया गया। दिनांक 07.06.2017 को अभिभाषक वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादिया संख्या 2/4 मु0 शिमला पुत्री श्रीलाल चमार की मृत्यु ला–ओलाद फोत हो जाने से उसकी माता व भाई मे ही रेकार्ड पर होने से डिलिट किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाकर नाम डिलिट किये जाने के आदेश दिये गये। वादी श्रीलाल के वारिस कैलाश 2/3 की मृत्यु हो जाने से आज मौके पर ही उसके वारिसान उपस्थित हुये जिन्हे सुना गया। स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 16.07.2014 की पालना एवं केम्प कोर्ट के आदेश की पालना मे संशोधन उनवान प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। मौके पर श्रीकिशन के वारिसान भूला, नोरतन, लादी एवं श्रीलाल के वारिसान किशनी, घीसू व कैलाश के वारिस मु0 फोरी उपस्थित हुए जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत डाबला चान्दा द्वारा की गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सीधी बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम मुंहला पटवार हल्का डाबला चान्दा संवत 2036–39 कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा श्री छोगा, श्रीकिशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण, रोडू पिता खाना चमार सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जमाबन्दी ग्राम मुंहला संवत 2041 से 44 खाता संख्या 85 कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा छोगा पिता श्रीकिशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण, रोडू पिता खाना चमार सा0 देह खातेदार दर्ज है। भू–प्रबन्ध के पश्चात् जमाबन्दी संवत 2051–70 लिखी गई जिसमे कुल किता 9 रकबा 1.32 है0 छोगा पिता

a

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
मांडलगढ़ (भीलवाड़ा)

श्रीकिशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण, रोडू पिता खाना चमार सा0 देह खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार वर्तमान जमाबन्दी संवत 2063–66 ग्राम मुंहला प0ह0 बलाण्ड खाता संख्या 97 कुल किता 9 रकबा 1.32 है0 छोगा पिता श्रीकिशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण, रोडू पिता खाना चमार सा0 देह खातेदार दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल से भी साबिक/हाल रेकार्ड की पुष्टि होती है। सरपंच ग्राम पंचायत डाबला चान्दा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 06.05.2016 अनुसार छोगाजी, श्रीकिशनजी, श्रीलाल ये तीनों ही भाई है इनके पिता का नाम लक्ष्मणजी बैरवा है। उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी ग्राम मुंहला पटवार हल्का डाबला चान्दा संवत 2036–39 कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा श्री छोगा, श्रीकिशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण, रोडू पिता खाना चमार सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड था जिसे रोटेशन की जमाबन्दी ग्राम मुंहला पटवार हल्का डाबला चान्दा संवत 2036–39 कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 05 बिस्वा श्री छोगा, श्रीकिशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण, रोडू पिता खाना चमार सा0 देह खातेदार दर्ज दर्ज कर दिया जो गलत है। तथा इसी अनुसार वर्तमान जमाबन्दियों मे अंकन चला आ रहा है। वादीगण वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाड़ा भी करना चाहते है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 रा0टी0ए0 स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है। वाके ग्राम मुंहला प0ह0 बलाण्ड जमाबन्दी संवत 2063–66 के खाता संख्या 97 मे दर्ज छोगा पिता श्रीकिशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण के बजाय छोगा,श्रीकिशन,श्रीलाल पिता लक्ष्मण दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही श्रीकिशन, श्रीलाल, छोगा की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान के नाम उनके हिस्से अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। तथा ग्राम मुंहला प0ह0 बलाण्ड तहसील शाहपुरा मे स्थित आ0न0 326, 455, 519, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587, 1588 रकबा क्रमशः 0.16 है0, 0.23 है0, 0.36 है0, 0.08 है0, 0.13 है0, 0.05 है0, 0.04 है0, 0.14 है0, 0.13 है0 कुल किता 9 रकबा 1.32 है0 मे वादी श्रीकिशन के वारिस भूला, नोरतन, मु0 लादी का 1/6 हिस्सा, श्रीलाल के वारिस किशनी, घीसू, फोरी शोकिन्द ना0बा0 जरिये माता फोरी का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी छोगा के वारिस रामेश्वर शंकर, सोहनी चमार का 1/6 हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर पक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवाड़ा कर नक्शे मे तरमीम के आदेश तहसीलदार, शाहपुरा को दिये जाते है। प्रतिवादी नं0 4 रोडू पिता खाना चमार नि0 मुंहला का वादग्रस्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को केम्प डाबला चान्दा सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खोड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री के० आर० बैरवा, RAS

1-3

1. श्री किशन S/o लक्ष्मण जाट निवासी टीटोड़ा (फौत)
1/1 उदयलाल S/o किशन जाट टीटोड़ा
1/2 गोरधन S/o — —
1/3 लादूराम — —
2 श्रीलाल S/o लक्ष्मण जाट टीटोड़ा (फौत)
2/1 किशनी W/o श्रीलाल जाट टीटोड़ा
2/2 नाथू S/o श्रीलाल — —
2/3 कैलाश S/o श्रीलाल — — (फौत)
2/3/1 ... W/o कैलाश जाट टीटोड़ा
2/3/2 शांतिलाल S/o कैलाश ... — वादीगण

बनाम श्री राजेश्वर शंकर, लोकेश S/o कोमल जाट नि० टीटोड़ा
4 राजू S/o लाला जाट — —
5 राजस्थान सरकार
— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 RTA

मुकदमा नम्बर 30 सन् 10 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादी का दावा तहसील पं० हुरड़ा जमाबन्दी संवत 2063-66 के खाता संख्या 97 में दर्ज खातेदारान किशन, श्रीलाल पिता लक्ष्मण के स्थान पर किशन, श्रीलाल खातेदार की मृत्यु हो जाने से उनके वारिसान के नाम उनके हिस्से ... दर्ज किये जाने ... राजस्थान सरकार को निर्देशित किया जाता है ... ग्राम टीटोड़ा पं० हुरड़ा राजस्थान सरकार ... खसरा नं० 326, 455, 519, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587, 1588 रकबा क्रमशः 0.16 है०, 0.23 है०, 0.36 है०, 0.08 है०, 0.13 है०, 0.05 है०, 0.04 है०, 0.14 है०, 0.13 है० कुल किता 9 रकबा 1.32 है० ...

मिन मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

आज मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 7 माह 6 सन् 17

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

६५

श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का 1/6 हिस्सा
श्री [illegible] के पुत्र [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
[illegible] [illegible] का 1/6 हिस्सा, [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible] [illegible] का 1/6 हिस्सा [illegible]
में [illegible] [illegible] [illegible] की [illegible]
[illegible] जाती है प्रार्थीगण नं. 4 [illegible] पिता [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] का 1/2 हिस्सा [illegible]
रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)